राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01391/2023

राजेंद्र कुमार आचार्य

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग एवं भारतीय चिकित्सा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक निदेशालय होम्योपेथी विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. रजिस्ट्रार जरिये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान।
4. कुलपति, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य जरिये होम्योपेथी विश्वविद्यालय कॉलेज, केकड़ी अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.05.2023
आदेश की दिनांक : 24.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेंद्र शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक–1 के पद पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में कार्यरत है। अपीलार्थी को प्रारंभ में होम्योपैथिक चिकित्सक अधिकारी के रूप में राजकीय चिकित्सालय जैसलमेर में नियुक्त किया गया था नियुक्त किया गया था तथा इसके बाद अपीलार्थी को विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 24.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया और अपीलार्थी ने दिनांक 01.01. 2022 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण किया। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार कर कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 1904.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक–1 के पद पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में नियुक्ति के आदेश दिए जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन चिकित्सा अधीक्षक–1 के पद पर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी में कार्यरत है। अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को राजकीय होम्यो औषधालय विराटनगर जयपुर में कार्यव्यवस्थार्थ हेतु लगाया गया था और उसे 24.12.2021 को विराट नगर जयपुर से कार्यमुक्त कर अपीलार्थी ने 01.01.2022 को होम्योपैर्थी यूनिवर्सिटी कॉलेज केकड़ी अजमेर में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यग्रहण रिपोर्ट अनुलग्नक–3 में कही पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति पर केकड़ी अजमेर में कार्यग्रहण किया है और दिनांक 19.04.2023 (अनुलग्नक–1) के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आगामी कार्यदिवस में निदेशक, निदेशालय होम्योपैथी विभाग राजस्थान जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया है इसप्रकार अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है कि उसे प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one

place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

5 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य